

बिहार शताब्दी असंगठित कार्य क्षेत्र कामगार एवं शिल्पकार सामाजिक सुरक्षा योजना, 2011 के अधीन दुर्घटना मृत्यु के मामले में अनुदान प्राप्त करने हेतु दावा प्रपत्र के पेपर चाहिए।

प्रपत्र-1

- (1) मृत्यु प्रमाण पत्र।
- (2) वोटर आई कार्ड मृतक एवं नोमिनी।
- (3) थाना रिपोर्ट (फर्दयान)।
- (4) एफ0 आई0 आर0 रिपोर्ट।
- (5) फाइनल पुलिस रिपोर्ट / चार्जशीट / मृत्यु-समीक्षा रिपोर्ट।
- (6) अन्त्य-परीक्षण रिपोर्ट (पोस्ट मॉर्टम रिपोर्ट)।
- (7) नोमिनी बैंक a/c का फोटो कॉपी चाहिए।
- (8) क्लेम फार्म पर साइन नोमिनी द्वारा।
- (9) आश्रित प्रमाण पत्र अंचलाधिकारी द्वारा निर्गत होना चाहिए।
- (10) मृतक का अवासीय प्रमाण पत्र होना चाहिए।
- (11) मृतक का नियोजन के कार्य की प्रकृति के संबंध में मुखिया / पंचायत के वार्ड सदस्य / पंचायत समिति के सदस्य / शहरी क्षेत्र के वार्ड पार्षद द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र।
- (12) शपथ-पत्र।
- (13) साक्षी का हस्ताक्षर एवं नाम पता क्लेम फार्म पर होना चाहिए।

नोट: मृत्यु तारीख 31.03.2011 के बाद का होना चाहिए।